

न्यायालय सिविल जज(सी.डि.)जौनपुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या-197/2022

अनिल कुमार**बनाम****सुबासचन्द्र पटेल व अन्य।****11.02.2023**

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 4ग पर पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना-पत्र 4ग अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. मय शपथ-पत्र 5ग मूलवाद संख्या-501/2013 छोटेलाल पटेल बनाम सुबासचन्द्र पटेल में पारित आदेश दिनांकित 14.09.2022 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया है कि दिनांक 14.09.2022 को वादी साक्ष्य के लिए मुकदमा मजकूर में तारीख नियत थी। सुशीला देवी बुखार की बीमारी के कारण तथा सायल व तरतीवी विपक्षी सुनील कुमार बाहर होने के कारण दिनांक 14.09.2022 को कचहरी नहीं आ सके थे और न अपने वकील साहब को बगरज पैरवी सूचित कर सके थे जिसकी वजह से वादी की अनुपस्थिति में वाद खारिज होने का आदेश पारित हो गया। दिनांक 09.10.2022 को कचहरी आया। अपनी भाभी से मुकदमा के बाबत पूछा तो उसने बीमारी के कारण कचहरी न जाने की बात बतायी तब सायल दिनांक 10.10.2022 को कचहरी आकर वकील से पूछा तब मुकदमा खारिज की जानकारी हुई। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं विधि के प्रावधान का सम्यकरूपेण परिशीलन किया गया।

मूलवाद संख्या-501/2013 छोटेलाल पटेल बनाम सुबासचन्द्र पटेल की पत्रावली का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 14.09.2022 को उभयपक्ष की अनुपस्थिति के कारण उक्त वाद निरस्त किया गया था। न्यायालय के मत में वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र से समर्थित है तथा निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत किया गया है। वादी मूलवाद को पुनर्स्थापित कराना चाहता है तथा उसकी अनुपस्थिति का जो कारण दर्शित है, उसे पर्याप्त पाते हुए वादी को एक अवसर प्रदत्त किया जाना न्यायसंगत है। तदनुसार प्रार्थना-पत्र 4ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र 4ग स्वीकार किया जाता है। मूलवाद संख्या-501/2013 छोटेलाल पटेल बनाम सुबासचन्द्र पटेल में पारित आदेश दिनांकित 14.09.2022 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अपने मूल नम्बर पर दर्ज होकर दिनांक 10.03.2023 को पेश हो। प्रकीर्ण वाद संख्या-197/2022 की पत्रावली मूलवाद संख्या-501/2013 की पत्रावली के साथ शामिल मिसिल हो।

(ज्योति अग्रवाल)

सिविल जज(सी.डी.)जौनपुर।